



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-231008
CG-DL-E-10112021-231008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4262]
No. 4262]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2021

का.आ. 4627(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति या सदस्यों का नाम निर्देशित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की, अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 27 फरवरी, 1971 में सा.का.नि. 301 (अ), तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (xxi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थानपर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“xxi) डा. वीरेन्द्र प्रताप उपाध्याय, भूतपूर्व वैज्ञानिक ‘जी’
भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(एम ओ ई एफ सी सी), दूसरा तल, क्यू ब्लॉक,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
अली गंज, नई दिल्ली।”

[फा.सं.13029/02/2019-पीपी-1]

डा. प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव (पौधा संरक्षण)

टिप्पण मूल : अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 301 (अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अंतिम संशोधन का.आ. 3634 (अ) तारीख 3 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2021

S.O. 4627(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government here by nominate following person or members to the Central Insecticides Board for a period of three years from the date of publication of this notification and for this purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification, for serial number (xxi) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xxi) Dr. Veerendra Pratap Upadhyaya,
Former Scientist ‘G’, Govt. of India, Ministry
of Environment, Forest and Climate Change
(MoEF&CC), 2nd Floor, Vayu Block, Indira
Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi”.

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

DR. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 27th February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 3634 (E), dated 3rd September, 2021.